कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

पत्रांक4819 /14–10, अलीगढः दिनांकः जून, 22 ,2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषयः– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़–मथुरा रोड़ (एन0एच0–80) किमी0 05 दांयी पटरी खसरा सं0–30 ग्राम दौलताबाद, तहसील–कोल, जनपद–अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भ– उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–1075/81–2–2023–800(144)/2019 दिनांक 06.06.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–1876/11–सी–FP/UP/Others /26736/2017 दिनांक 08.06.2023

महोदया,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयीं आपत्तियों एवं आपके संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का समेकित रूप से निम्न प्रकार निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेख/सूचना 04 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति सहित प्रेषित है–

क्र.सं.	आपत्ति	उत्तर
1.	प्रकरण में अवगत कराना है कि आपके पत्र दिनांक 16.12.2022 के संलग्नक के अनुसार प्रकरण में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अलीगढ़ को दोषी बताया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 09.03.2023 द्वारा आख्या मांगी गई। उक्त आख्या के अनुक्रम में आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 03.04.2023 के साथ संलग्न मुख्य वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 28.03.2023 में विरोधाभाष है।	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 15.09.2021 द्वारा अवगत कराया गया था कि उनके द्वारा जिलापूर्ति अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा सम्बन्धित विभागों को रिटेल आउटलेट निर्माण/स्थापना हेतु अनापत्ति निर्गत करने हेतु लिखा गया है जिसके उपरान्त अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, अलीगढ़ द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनुमति निर्गत की गयी अनुमति के आधार पर ही प्रस्तावित स्थल पर कार्य पूर्ण कराया गया। **(संलग्नक–1)** उक्त के क्रम में इस कार्यालय द्वारा भारत सरकार के बिना पूर्व अनुमति के रिटेल आउटलेट निर्माण हेतु अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, अलीगढ़ को दोषी बताया गया। तत्पश्चात् इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1284/ जि0पू0अ0/एन0ओ0सी0/13 दिनांक 25.11.2013 **(संलग्नक–2)** द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया एवं अध्ययन के उपरान्त पाया गया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र में रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रदान की गयी है एवं रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में अनापत्ति का कोई उल्लेख अनापत्ति प्रमाण पत्र में नहीं किया गया है। जबकि प्रस्ताव प्रसतावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग से सम्बन्धित है। अतः प्रकरण में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अलीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी नहीं पाया गया।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

22/06/23

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक4819/14–10 समदिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कार्पो0 लिमिटेड, मुरादाबाद मण्डल कार्यालय, ख्वाजा फिलिंग स्टेशन के पीछे, एन0एच0–24, पकवाड़ा, मुरादाबाद–244102। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22/06/23

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

o/c